सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय –2 की धारा–4 (1) ख (15)

मैनुअल संख्या – 15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो उसका विवरण

इस मैनुअल को तैयार करने में यद्यपि यथोचित सावधानियॉ बरती गयी है, तथापि इसके प्रकाशन में यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो कृपया कंपनी सचिव, कार्यालय उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड, उज्जवल, महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून पिन–248 006 को डाक द्वारा या फैक्स नम्बर 2761549 या ई–मेल sec_ujvnl @ ujvnl.co.in. पर सूचित करें ।

मैनुअल –15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो उसका विवरण

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 से संवंधित कोई भी सूचना प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति निगम की वैब साइट www.uttarachaljalvidyut.com पर वॉछित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अलग से भी एक कक्ष की सुविधा लोक उपयोग के लिए उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति निगम से पत्राचार अथवा ई–मेल के द्वारा भी वॉछित उपलब्ध सूचना प्राप्त कर सकते हैं। वॉछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु निगम द्वारा सभी सम्भव प्रयास किये जायेगें।

सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अर्न्तगत कोई भी भारतीय नागरिक, जो निगम से संबंधित कोई भी सूचना प्राप्त करने का इच्छुक हो निर्धारित बांछित सूचना प्राप्त करने हेतु संवंधित लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र लिखित अथवा इलैक्ट्रोनिक माध्यम से प्रेषित कर सकता है ।

आवेदन शुल्क

सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6, उप धारा (1) के अनुसार सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क संलग्न किया जाना आवश्यक है । आवेदन शुल्क वर्तमान में निम्न है, जो समय समय पर परिवर्तित किया जा सकता है – **आवदेन शुल्क : रू0 10/–**

जो व्यक्ति बी0पी0एल0 श्रेणी (Below Poverty Line category) में आते हैं को शुल्क देना आवश्यक नहीं हैं यद्यपि इसके लिए उन्हें समुचित प्रमाण संलग्न करना होगा।

अतिरिक्त शुल्कः

अधिनियम के अर्न्तगत यदि यह सुनिश्चित किया जाता है कि सूचना देय है तथा देय सूचना हेतु आवेदक को वॉछित अतिरिक्त शुल्क जमा करने हेतु सूचित कर दिया जायेगा एंव उसके द्वारा अतिरिक्त शुल्क जमा कराने के पश्चात ही सूचना आवेदक को उपलब्ध करायी जायेगी । सूचना हेतु अतिरिक्त शुल्क, जो समय समय पर परिवर्तित किया जा सकता है वर्तमान में निम्न है।

अ	प्रत्येक पेज (ए–4 अथवा ए–3) हेतु	रू0 2/– प्रति पेज
ब	बडे साइज पेपर हेतु (प्रति कापी)	वास्तविक शुल्क अथवा लागत मूल्य
स	सैम्पल अथवा माडल हेतु	वास्तविक मूल्य अथवा लागत
द	अभिलेखों को देखने हेतु	प्रथम घन्टे हेतु कोई शुल्क देय नहीं एंव उसके उपरान्त प्रत्येक 15 मिनट(अथवा उसके भाग) हेतु रू0 5/–शुल्क देय है।

भुगतान की विधिः

आवेदन शुल्क नकद (जिसकी प्राप्ति रसीद दी जायेगी), डिमान्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक/नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर या पोस्टल आर्डर के माध्यम से दिया जा सकता है। उक्तांकित अतिरिक्त शुल्क के भुगतान की विधि आवेदन शुल्क के समान ही होगी।

अपील

अधिनियम की धारा 7, उपधारा 3 (ए) (1) में निर्दिष्ट समय सीमा के अर्न्तगत आवेदक को लोक सूचना अधिकारी से कोई निर्णय प्राप्त न होने अथवा प्राप्त निर्णय से सन्तुष्ट न होने की दशा में निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के 30 दिन के अन्दर आवेदक अपीलीय अधिकारी को शिकायती पत्र प्रस्तुत कर अपील कर सकता है।

आम जनता हेतु लाइबेरी सुविधा

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 में वर्तमान में आम जनता हेतु अलग से भी एक कक्ष की सुविधा लोक उपयोग के लिए उपलब्ध है।